सं-Z-18022/04/2020/NML/E.III

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

स्थापना-III अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली110011-

दिनांक:..04..जुलाई....,2022

<u>अधिसूचना</u>

यह मंत्रालय **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में पुस्तकालय लिपिक** के मौजूदा **09 (नौ)** पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

.2 भर्ती नियमो को अंतिम रूप देने हेतु निर्दिष्ट नोडल एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से तीस(30) दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणिया, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियाँ/सुझाव/टिप्पणियों को इस मंत्रालय द्वारा आवश्यकता/नियम अनुसार उचित विचार किया जाएगे।

3. टिप्पणियाँ/सुझाव अधोहस्ताक्षरी को कक्ष्य सं.330-सी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली – 110011 अथवा jaiswal.r72@nic.in में भेजी जा सकती हैं।

4/7/2022

(राजीव जायसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 23061323

अवर सचिव / Under Secretary

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय / Ministry of Health & F. W.

नई दिल्ली / New Delhi

[भारत के राजपत्र के भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, तारीख ..04.07... 2022

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (पुस्तकालय लिपिक) भर्ती नियम 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ : -

(i) इन नियमों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (पुस्तकालय लिपिक) भर्ती नियम 2012 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड पे तथा वेतनमान** –उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – ऐसा व्यक्ति –**

क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं,

ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्यव्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय लिपिक	*09 (नौ) (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल- 2 – (19,900 – 63,200/- रू.)	लागू नहीं	अधिकतम 25 वर्ष **टिप्पण 1:** (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय) **टिप्पण 2:** आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी। (न की असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले और पांगी उप प्रभाग एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि। **टिप्पण 3:** रोजगार कार्यालय के जरिए की गई भर्ती के मामले में आयु-सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	अनिवार्य अर्हताएं : (i) संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र **टिप्पण 1:** अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी का मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदाय के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिनके पास अपेक्षित अनुभव है तो इन समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधित योग्यता में छूट दी जा सकती है है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण 1:** 01 या अधिक वर्ष की अवधि के लिए पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बिमारी या अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण रहने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है जो: क. नियमित आधार पर समतुल्य पद धारित है और ख. जो कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते है।	लागू नहीं	विभागीय प्रोन्नयति समिति (स्थायीकरण हेतु) में निम्लिखित शामिल होंगे: 1. निदेशक (प्रशासनिक), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- अध्यक्ष 2. वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी या पुस्तकालय सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय- सदस्य 3. उप-निदेशक (प्रशासनिक), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- सदस्य 4. उप- निदेशक (प्रशासनिक) (अनुसूचित जाति अथवा/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- सदस्य	लागू नहीं